कार्यालय के पूर्व। वर्तमान/ उपस्थित तारीख। वैकल्पिक अतिरिक्त
अवर अंक कर्म में बाकी है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 22.2.24 को पेश हो।

2/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिगण उपस्थित। आवेदन आदेश 1 नियम 10 CPC व 151 पर सुना गया। आवेदन में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी मूलचन्द ने अपना 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी महेन्द्र ने अपना 1/10 हिस्सा प्रार्थी ओंकार मल, महेन्द्र सूण्डा, राकेश चिल्का को बेचान किया गया। बेचान के अनुसार नामान्तकरण संख्या 1623 के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में ओंकार मल के 1/10 हिस्सा, महेन्द्र सुण्डा के 1/30 हिस्सा व रमेश चिल्का के 1/15 हिस्सा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है इसलिए प्रार्थी ओंकार मल, महेन्द्र सूण्डा व राकेश चिल्का वादी मूलचन्द व प्रतिवादी महेन्द्र के हिस्से पर प्रतिस्थापित हो चुके हैं। फुंकी हांवा बंटवारे का है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 1 नियम 10 CPC स्वीकार किया जाता है। संशोधित शीर्षक भी पूर्व में आवेदन आदेश 1 नियम 10 CPC के साथ पेश किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन 151 CPC इस आशय का पेश किया है कि तहसीलदार सीकर द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव की मद संख्या 1, 3, 6 व 8 में खातेदार महेन्द्र व मूलचन्द द्वारा अपना हिस्सा ओंकार मल, महेन्द्र सूण्डा व राकेश चिल्का को बेचान कर दिया गया जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में भी हो चुका है। अतः आवेदन 151 CPC को स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।